



INTEGRATED DISTRICT HEALTH SOCIETY (East Dist.)

Office of Chief District Medical Officer, East District
Dte. of Health Services, Govt. of NCT of Delhi
A-Block Surajmal Vihar Disp. Building, Delhi-110092,
Phone no. 20824116, 20824117



F.No. IDHS-ED/Hiring of SPUHCs/Rent/20/HSS.U.3, Sr.-137/2024-25/172 Dated: 14/6/2024

**NOTICE FOR HIRING OF PREMISES FOR SEED PRIMARY URBAN HEALTH CENTER
EAST DISTRICT DELHI**

Integrated District Health Society, East District invites expression of interest from interested parties for hiring of premises on ground floor for shifting of already running Seed Primary Urban Health Center Ghazipur Village, Rajbeer Colony (Kondli) and New Ashok Nagar at different place / nearby location within community area of Ghazipur Village, Rajbeer Colony (Kondli) and New Ashok Nagar on Rental basis. The Seed Primary Urban Health Center Ghazipur Village, Rajbeer Colony (Kondli) and New Ashok Nagar will be set up at location easily approachable for local community. The building space should have a carpet area of approximately 2000 square feet and have approx. 4-5 built up rooms & 02 (two) toilets for each Primary Health Centre. Preference will be accorded to accommodation on Ground Floor. Rent will be fixed by rent fixation committee at district level.

All the Applications (in two copies) as per format available on website will be dropped in person at application receiving box situated at **Office of Office of CDMO cum Mission Director IDHS-East, Block-A, Dispensary Building, 1st Floor, Near Jain Mandir, Surajmal Vihar, Delhi-110092**. Any other mode will not be accepted. Applications not as per prescribed format will be liable for rejection.

Date of uploading of notice on website:-20-06-2024

Last date of receiving of application is 19th July 2024 (Friday) by 05.00 PM

For more information please visit: <http://dshm.delhi.gov.in>

-sd-

CDMO cum Mission Director
Integrated District Health Society
East District

TERMS AND CONDITIONS:-

1. The Seed Primary Urban Health Center giving health facilities to about 50000 population so it should be easily accessible within about 1 km from the existing Seed PUHC, so that people have an easy access and may not have to walk for more than 10-15 minutes to access health services.
2. The Seed Primary Urban Health Center will be set up in a built up area of approximately 2000 square feet & have approx. 4-5 built up rooms & 2 toilets.
3. Rent will be decided as per norms.
4. The sites will be selected by District Level Committee and the rent will be fixed by Rent fixation committee at District level with PWD as member.
5. Declaration of the owner on the stamp paper of Rs 100/- that he/she will accept the rent which will be fixed by the PWD Govt of NCT of Delhi.
6. The offered property should be on ground floor.
7. The property should have electricity supply with separate meter connection.
8. The property should have sufficient water supply for drinking and utility services. If separate connection is not available owner will bear all charges.
9. The property should have arrangement of at least two toilet with continuous water supply.
10. The responsibility of payment of all kind of taxes such as property taxes, municipal taxes etc. in connection with the offered property will be that of the owners. The owner shall continue to bear all charges during the lease period and any extension thereof
11. The Owner shall execute necessary repair/renovation in the premises and as any be specified by the IDHS (East District). The Owner shall also do fixing of lights, fans & other fittings as may be required in all the rooms.
12. The maintenance civil, electrical, mechanical, plumbing including consumable items etc. shall be provided by the owner and owner shall also undertake annual repairs and maintenance such as Painting, white wash, electricity etc . No extra charges shall be paid by the IDHS (East District). If the owner fails to provide maintenance within 30 days of request made by the IDHS (East District), the IDHS shall carry out such repairs and amount would be adjusted in subsequent rent.
13. All the applications will be dropped physically in the application receiving box situated at **Office of Office of CDMO cum Mission Director IDHS-East, Block-A, Dispensary Building, 1st Floor, Near Jain Mandir, Surajmal Vihar, Delhi-110092.** Any other mode will not be accepted.
14. The applications will be examined by the Rent Fixation Committee as per the criteria mentioned above and shall fix the rent after negotiation with applicants.
15. CDMO cum Mission Director IDHS (East District) will issue the final offer and take acceptance from the qualified applicant.
16. CDMO cum Mission Director IDHS (East District) will sign the rent agreement after taking due approval from Chairperson, IDHS-East District.
17. IDHS (East District) reserves the right to accept or reject the application without assigning any reason.

-sd-

CDMO cum Mission Director
Integrated District Health Society
East District

56/c

Application format

To,

The CDMO cum Mission Director
Integrated District Health Society, East
Block-A, Dispensary Building, 1st
Floor, Near Jain Mandir, Surajmal
Vihar, Delhi-110092

From :

Sri/Smt/M/s.

Telephone No. (O) (R) Mobile No.

Subject : Offer of Premises for opening of Seed Primary Urban Health Center at (Address of the offered site)

Sir/Madam,

.....
.....
.....

In response to your advertisement published at website dshm.delhi.gov.in/, I / We am/are submitting the details of our premises as under:

S.No	Particulars	Detail (Please tick/ fill up with relevant answers, wherever required)
1	Full particulars of the legal owner of the premises: (make separate entries if owner are more than one	
(i)	Name	
(ii)	PAN / GSTN	
(iii)	Office Address & Telephone No.	
(iv)	Residential Address & Telephone No. of applicant	
(v)	Mobile No	
(vi)	Telefax	
(vii)	Email	

2	Status of the owner (Individual/Partnership/Firm/Company/Society/ Any other (Specify))	
3	(In case the application is not submitted by the legal owner)	
(i)	Full particular of person(s) offering the premises on rent/lease	
(ii)	Relationship with the legal owner (enclose Power of attorney also if the applicant is other than owner	
4	Status of the applicant (Individual/Partnership/Firm/Company/Society/ Any other (Specify))	
5	Complete Address and location of the building	
6	(i) Type of building (Commercial/mixed use/residential)	
7	Total Carpet Area	
8 (i)	Build up Carpet Area	
(ii)	Number of built up Rooms with measurements thereof	
(iii)	Number of Toilets	
9	Sufficient space for waiting/parking	
10	Whether willing to carry out additions/alterations/repairs as per specifications/plan given by the lessee	
11	Whether running water, drinking and otherwise, available round the clock?	
12	Whether separate Water meter installed	
15	Whether separate Electricity meter installed	
16	Sanctioned Load of electricity meter installed(KVA)	
18	Whether electrical installation and fittings, power plugs, switches of ISI make provided	
19	Ventilation one room/ two / all rooms'	
21	Whether the premises is ready for occupation. If not, the date by which it would be ready for occupation after necessary modifications/alterations, which shall in no case be later than 2 months from the date of publishing of advertisement.	

54/L

22	Whether applicant agrees to provide annual maintenance (Painting, white wash, electricity etc.), as per terms & conditions at his own cost	Yes/ No
24	Any other facilities being provided inside the Premises being offered on hire.	
25	Signage- The IDHS requires the right to use its logos and graphics at the entrance to its premises and within the premises. The department shall also be provided signage in the lobby on the leased premises and in the building lobby. Preference to install a prominent signage on the main building façade. Agreed (Yes/No)	

Undertaking

I hereby declare that all statements made in this applications are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information found false or incorrect or ineligibility being detected. I am aware my application is liable to be rejected.

Signature of Legal Owner/ Power of Attorney Holder

Documents (to be enclosed):-

1. Copy of PAN Card and Adhaar Card of Land Lord / Owner.



एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति (पूर्वी जिला)
मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, पूर्वी जिला
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
गवर्मेंट डिस्पेंसरी बिल्डिंग (प्रथम तल), ए- ब्लॉक, सूरजमल विहार, दिल्ली-110092
दूरभाष क्रमांक. 20824116, 20824117



F.No. IDHS-ED/Hiring of SPUHCs/Rent/20/HSS.U.3, Sr.-137/2024-25/173

Dated: 14/06/2024

पूर्वी जिला (दिल्ली) में सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र (SEED Primary Urban Health Centre) के संचालन के लिए किराए पर परिसर/मकान लेने के लिए विज्ञापन

पूर्वी जिला (दिल्ली) के गाजीपुर गांव, राजबीर कॉलोनी (कॉडली) एवं न्यू अशोक नगर के सामुदायिक क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों (SEED Primary Urban Health Centres) को इन्हीं सामुदायिक क्षेत्रों में अलग स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए किराए पर भूतल पर परिसर की आवश्यकता है। इसके लिए एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी जिला द्वारा इच्छुक व्यक्ति/पार्टी से अभिव्यक्ति की अभिरूचि (ई.ओ.आई.) आमंत्रित की जा रही है। इन तीनों सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों को गाजीपुर गांव, राजबीर कॉलोनी (कॉडली) एवं न्यू अशोक नगर के सामुदायिक क्षेत्रों में उन स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाएगा जो इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए सुलभ हो। भवन का क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्गफीट होना चाहिए और प्रत्येक सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र के लिए चार से पांच निर्मित कमरे और दो शौचालय उपलब्ध होना चाहिए। भूतल पर उपलब्ध परिसर को प्राथमिकता दी जाएगी। परिसर का किराया मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

इच्छुक व्यक्ति/पार्टी वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन के प्रारूप की दो प्रतियां निम्न पते "एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति (पूर्वी जिला), मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, पूर्वी जिला स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार गवर्मेंट डिस्पेंसरी बिल्डिंग (प्रथम तल), ए- ब्लॉक, सूरजमल विहार, दिल्ली-110092" पर स्थापित किए गए आवेदन प्राप्त बॉक्स में केवल व्यक्तिगत रूप से डाल सकते हैं। किसी अन्य तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, निर्धारित प्रारूप में नहीं भरे गए आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

वेबसाइट पर नोटिस अपलोड करने की तारीख - 20 जून, 2024

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि - 19 जुलाई, 2024 (शुक्रवार) शाम 5 बजे तक है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन की आधिकारिक वेबसाइट "<http://dshm.delhi.gov.in>" पर विजिट करें।

-sd-

मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी सह मिशन निदेशक
एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी जिला (दिल्ली)

नियम व शर्तें :-

1. सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र करीब पचास हजार की आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि नया परिसर वर्तमान में संचालित स्वास्थ्य केन्द्र के एक किलोमीटर की सीमा में हो, ताकि क्षेत्र के नागरिक नए परिसर तक आसानी से पहुंच सकें एवं उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए 10 से 15 मिनट से अधिक पैदल न चलना पड़े।
2. सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 2000 स्क्वायर फीट के परिसर में स्थापित किया जाएगा, परिसर में करीब चार से पांच निर्मित कमरे एवं दो शौचालय उपलब्ध होना आवश्यक है।
3. परिसर का किराया मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
4. परिसर का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा एवं किराया जिला स्तर पर जिला निर्धारण कमिटी निर्धारित करेगी, पी.डब्ल्यू.डी. भी समिति के सदस्य रहेंगे।
5. परिसर/मकान मालिक को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित में देना होगा कि वह पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार द्वारा तय किए गए किराये को स्वीकार करता/ करती है।
6. प्रस्तावित परिसर भूतल पर होना आवश्यक है।
7. परिसर में बिजली आपूर्ति अलग से उपलब्ध बिजली मीटर के द्वारा होना आवश्यक है।
8. परिसर में पेयजल एवं अन्य स्टाफ व नागरिकों के सामान्य उपयोग के लिए अलग से पानी की आपूर्ति होनी चाहिए, अगर अलग से मीटर उपलब्ध नहीं है तो पानी पर होने वाला सारा व्यय मकान मालिक के द्वारा ही वहन किया जाएगा।
9. परिसर में निरंतर जल आपूर्ति के साथ कम से कम दो शौचालय उपलब्ध होना आवश्यक है।
10. प्रस्तावित परिसर जिस संपत्ति में है उससे संबंधित सभी प्रकार के करों जैसे संपत्ति कर, एम.सी.डी. कर आदि के भुगतान की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी, मकान मालिक को लीज की अवधि और किसी भी तरह के विस्तार के दौरान सभी शुल्क वहन करना होगा।
11. प्रस्तावित परिसर जिस संपत्ति में है उससे संबंधित सभी प्रकार के करों जैसे संपत्ति कर, एम.सी.डी. कर आदि के भुगतान की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी, मकान मालिक को लीज की अवधि और किसी भी तरह के विस्तार के दौरान सभी शुल्क वहन करना होगा।
12. एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति (पूर्वी जिला) द्वारा परिसर में वांछित सभी नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य, पुताई आदि मकान मालिक द्वारा कराए जाएंगे साथ ही सभी कमरों एवं शौचालय में बिजली, पखों, नल आदि की फिटिंग मकान मालिक द्वारा कराई जाएगी। एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति (पूर्वी जिला) इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा, यदि मकान मालिक अनुरोध के 30 दिनों के भीतर वांछित रखरखाव व मरम्मत कार्य करवाने में विफल होता है तो एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति (पूर्वी जिला) द्वारा ये सभी कार्य स्वयं करवाए जाएंगे और इन पर खर्च होने वाली राशि बाद के किराए में समायोजित की जाएगी।

13. सभी आवेदन केवल वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन के प्रारूप में ही निम्न पते "एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति (पूर्वी जिला), मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, पूर्वी जिला स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बिल्डिंग (प्रथम तल), ए- ब्लॉक, सूरजमल विहार, दिल्ली-110092" पर स्थापित किए गए आवेदन प्राप्त बॉक्स में केवल व्यक्तिगत रूप से डाल सकते हैं । किसी अन्य तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
14. उल्लिखित मानदंडों के आधार पर सभी आवेदनों की जांच किराया निर्धारण कमिटी द्वारा की जाएगी, और आवेदकों से बातचीत के बाद किराया निर्धारित किया जाएगा ।
15. मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी सह मिशन निदेशक अंतिम प्रस्ताव जारी करेंगे एवं चयनित आवेदनकर्ता से स्वीकृति लेंगे ।
16. एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति (पूर्वी जिला) के चैयरमेन की आधिकारिक स्वीकृति के बाद मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी सह मिशन निदेशक द्वारा किरायानामा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
17. एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति (पूर्वी जिला) को अधिकार होगा कि वो बिना किसी कारण बताए आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है ।

-sd-

मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी सह मिशन निदेशक
एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी जिला (दिल्ली)

आवेदन प्रारूप

सेवा में ,

मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी सह मिशन निदेशक

एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी जिला (दिल्ली)

गवर्मेंट डिस्पेंसरी बिल्डिंग (द्वितीय तल), ए- ब्लॉक, सूरजमल विहार, दिल्ली-110092

द्वारा :

श्री/श्रीमती.....

दूरभाष क्रमांक (कार्यालय) (निवास)मोबाइल क्रमांक

महोदय/ महोदया,

विषय : निम्न पते पर सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए परिऐसर की पेशकश (प्रस्तावित परिसर का पता लिखें)

.....

राज्य स्वास्थ्य मिशन की आधिकारिक वेबसाइट "<http://dshm.delhi.gov.in>" पर प्रकाशित विज्ञापन के आधार, मैं/हम अपने परिसर का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो निम्नानुसार है ;

क्रमांक	विवरण	विस्तृत जानकारी (कृप्या जहां आवश्यक हो वहां संबंधित उत्तरों को टिक करें अथवा लिखें)
1	परिसर के कानूनी मालिक का पूरा विवरण: (यदि मालिक एक से अधिक हैं तो अलग-अलग प्रविष्टियां भरें)	
(i)	नाम	
(ii)	पैन / जीएसटीएन	
(iii)	कार्यालय का पता एवं दूरभाष क्रमांक	
(iv)	आवंदनकर्ता का आवासीय पता एवं दूरभाष क्रमांक	

(v)	मोबाइल क्रमांक	
(vi)	टैलीफैक्स	
(vii)	ई-मेल	
2	मालिक की स्थिति (व्यक्तिगत/ साझेदारी /फर्म/कम्पनी/समिति/अन्य (उल्लेखित करें)	
3	(परिसर के कानूनी मालिक द्वारा आवेदन न करने की स्थिति में)	
(i)	परिसर को किराए/लीज पर देने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों का पूरा विवरण	
(ii)	कानूनी मालिक के साथ संबंध (यदि आवेदनकर्ता ने आवेदन किया है तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी संलग्न करें) आवेदक मालिक के अलावा यदि कोई और है तो ।	
4	आवेदक की स्थिति (व्यक्तिगत/साझेदारी/फर्म/कंपनी/सोसायटी/कोई अन्य (उल्लेखित करें)	
5	भवन का पूरा पता और स्थान	
6	(i) भवन का प्रकार (वाणिज्यिक/मिश्रित उपयोग/आवासीय)	
7	कुल कारपेट एरिया	
8 (i)	निर्मित कारपेट एरिया	
(ii)	निर्मित कमरों की संख्या और उनका माप	
(iii)	शौचालयों की संख्या	
9	प्रतीक्षा / पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान	
10	क्या पट्टेदार द्वारा दिए गए विनिर्देशों /योजना के अनुसार परिवर्धन/ परिवर्तन/ मरम्मत करने के लिए तैयार है ?	
11	क्या पेयजल व अन्य उपयोग के लिए जल आपूर्ति 24 घंटे उपलब्ध है ?	
12	क्या परिसर में अलग से पानी का मीटर लगाया गया है ?	
15	क्या परिसर में अलग से बिजली का मीटर लगाया गया है ?	
16	बिजली का मीटर का स्वीकृत लोड (केवीए)	
18	क्या इलेक्ट्रिसिटी इंस्टालेशन एवं फिटिंग, पावर प्लग एवं स्विच आई.एस.आई. मेक उपलब्ध कराए गए हैं	
19	वेंटिलेशन एक कमरे में /दो कमरों में /सभी कमरों में	

21	क्या परिसर आधिपत्य के लिए तैयार है। यदि नहीं, तो ज़रूरी संशोधनों/ परिवर्तनों के बाद कब तक यह कब्जे के लिए तैयार हो जाएगा, जो किसी भी स्थिति में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 2 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए	
----	---	--

22	क्या आवेदक अपने स्वयं के खर्च पर नियमों और शर्तों के अनुसार वार्षिक रखरखाव (पेंटिंग, सफेदी, बिजली आदि) प्रदान करने के लिए सहमत है ?	हाँ/नहीं
24	परिसर के अंदर किराए पर दी जा रही कोई अन्य सुविधाएं	
25	साइनेज- एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति (पूर्वी जिला) को अपने परिसर के प्रवेश द्वार एवं परिसर के अंदर अपने लोगों और ग्राफिक्स व अन्य आई.ई.सी. मटेरियल प्रदर्शित करने के लिए अधिकार की आवश्यकता चाहिए। किराए पर दिए गए परिसर की लॉबी और बिल्डिंग लॉबी में विभाग द्वारा साइनेज प्रदर्शित करने के लिए दिए जाएंगे। मुख्य भवन के सामने वाले भाग पर एक प्रमुख साइनेज लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी। सहमत	(हां/नहीं)

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ इस आवेदन में दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। यदि कोई जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है या अयोग्यता पाई जाती है, तो मुझे पता है कि मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

कानूनी मालिक/पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के हस्ताक्षर

दस्तावेज (संलग्न किए जाने वाले):-

1. भूमि स्वामी/स्वामी की पैन कार्ड और आधार कार्ड की प्रति,